महत्वपूर्ण/समयबद्ध
संख्या–1674/81–2–2019–800(64)/2016

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 लखनऊ, दिनांक 26 जुलाई, 2019

विषय– वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा0लि0 द्वारा जनपद मीरजापुर के ग्राम ददरी खुर्द में स्थापित किये जाने वाले 1320 मेगावाट थर्मलपावर प्लान्ट के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, मीरजापुर के पत्रांक–381, दिनांक 15.07.2019 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2– प्रश्नगत प्रकरण में वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा0लि0 द्वारा जनपद मीरजापुर के ग्राम ददरी खुर्द में स्थापित किये जाने वाले 1320 मेगावाट थर्मलपावर प्लान्ट के सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा सारांशतः निम्नवत अवगत कराया गया है :–

1. वन विभाग की विज्ञप्ति सं0–617, दिनांक 11.10.1952 द्वारा 1643 एकड़ भूमि विज्ञापित हुई, जबकि गांव का कुल क्षेत्रफल 1202.50 एकड़ (1923 बीघा 19 बिस्वा) है।
2. वन विभाग की विज्ञप्ति सं0–617, दिनांक 11.10.1952 द्वारा विज्ञापित 1643 एकड़ भूमि में से वन अधिनियम की धारा–20 के अन्तर्गत 262.16 एकड़ (419 बीघा 09 बिस्वा) भूमि विज्ञापित हुई। शेष 1380.84 एकड़ भूमि विज्ञापित नहीं हुई।
3. वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा0लि0 द्वारा ग्राम ददरी खुर्द में 834.68 एकड़ (337.792 हे0) भूमि क्रय की गई, जो तत्का0 प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर द्वारा उपलब्ध कराये गये पत्र दिनांक 18.08.2013 के अन्तर्गत वनभूमि नहीं है।
4. ग्राम ददरी खुर्द तहसील सदर में विज्ञप्ति सं0–617, दिनांक 11.10.1952 द्वारा विज्ञापित भूमि व धारा–20 द्वारा विज्ञापित भूमि के मध्य 1380.84 एकड़ भूमि अवशेष बच रही है और इसी अवशेष भूमि को विज्ञप्ति सं0–617 के अन्तर्गत प्रकाशित होने का आधार लेते हुए वन विभाग द्वारा उसे विज्ञप्ति 617 से आच्छादित वनभूमि होना बताया जा रहा है।

जिलाधिकारी द्वारा वन विभाग की विज्ञप्ति सं0–617, दिनांक 11.10.1952 द्वारा विज्ञापित भूमि रकबा 1643 एकड़ व वन अधिनियम की धारा–20 के अन्तर्गत विज्ञापित भूमि 262.16 एकड़ के मध्य जो 1380.84 एकड़ भूमि अवशेष बच रही है वह ग्राम सभा की भूमि है अथवा वन विभाग की है, के सम्बन्ध में यथोचित मार्गदर्शन का अनुरोध शासन के वन विभाग से किया गया है।

3– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में तत्काल सुस्पष्ट आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

ASO
CCF Nodal
29/7/19

4-- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा0लि0 द्वारा ग्राम ददरी खुर्द तहसील सदर जनपद मीरजापुर में प्रस्तावित 1320 मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु जलापूर्ति बाबत भूमिगत वाटर पाइपलाईन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 296 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है, जिसके कम में शासन के पत्रांक-2691, दिनांक 27.07.2018 के माध्यम से कतिपय सूचनाएं मांगी गई थी, जिसका उत्तर अद्यतन अप्राप्त है। अतः उक्त पत्र द्वारा वांछित सूचना भी तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
उप सचिव।

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- 215/11-सी-FP/UP/Thermal/14236/2015, लखनऊ, दिनांकः जुलाई 29,2019

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक, भू-अभिलेख एवं वनबंदोबस्त को सलग्नक सहित इस आशय से प्रेषित कि विषयगत प्रकरण में शासन द्वारा वांछित बिन्दुवार सूचना/सुस्पष्ट आख्या अभिलेखों सहित मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को प्रेषित करते हुये इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को उपरोक्त पत्र संलग्नक सहित इस आशय से प्रेषित कि विषयगत प्रकरण में शासन द्वारा वांछित बिन्दुवार सूचना/सुस्पष्ट आख्या अभिलेखों एवं संस्तुति सहित तीन प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर को उपरोक्त पत्र संलग्नक सहित इस आशय से प्रेषित कि विषयगत प्रकरण में शासन द्वारा वांछित बिन्दुवार सूचना/सुस्पष्ट आख्या अभिलेखों एवं संस्तुति सहित इस कार्यालय को मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- अधिकृत प्रतिनिधि, वेलस्पन एनर्जी, यू0पी0 प्रा0लि0, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंजीकृत

प-16Y8/81-2-2019

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
मीरजापुर ।

सेवा में,

प्रमुख सचिव वन,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ ।

F. No. 800 (64)/2016

संख्या-381 /जि0भू0व्यव0लि0/वेलस्पन एनर्जी-वन भूमि/2019 दिनांकः 15 जुलाई 2019

विषयः- वेलस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा जनपद मीरजापुर के ग्राम ददरी खुर्द में स्थापित किये जाने वाले 1320मेगावाट थर्मल पावर प्लाण्ट के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव, अधिकृत प्रतिनिधि वेलस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 के पत्र दिनांक 19.06.2019 पर पृष्ठांकित मुख्य सचिव महोदय के आदेश दिनांक 19.06.2019 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्रकरण के संबंध में यथोचित कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है जिसके संबंध में इस कार्यालय के पत्र संख्या 357/जि0भू0व्य0लि0/वेलस्पन एनर्जी-वन भसूमि/2019 दिनांक 01.07.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा आख्या प्रेषित किया गया है।

प्रकरण के संबंध में सादर अवगत कराना है महोदय के आदेश दिनांक 19.06.2019 के कम में उप जिलाधिकारी सदर मीरजापुर एवं प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर से आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी । उप जिलाधिकारी सदर मीरजापुर ने अपने कार्यालय के पत्रांक 6975/एस0टी0/19 दिनांक 26.06.2019 द्वारा आख्या प्रेषित करते हुये अवगत कराया गया कि ग्राम ददरी खुर्द तहसील सदर मीरजापुर के वर्तमान खतौनी 1425-1431 फसली के ग्राम का कुल रकबा 495.762हे0 है जिसमें से 104.85 हे0 भूमि रक्षित वन तथा 2.180हे0 वन विभाग उत्तर मीरजापुर के नाम दर्ज है। इसके अतिरिक्त 337.792हे0 भूमि वेलेस्पन एनर्जी यू0पी0प्रा0लि0 के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर श्रेणी-1(क) के रूप में दर्ज है। खसरा 1359 फसली के अनुसार ग्राम ददरी खुर्द का कुल रकबा 1923 बीघा 19 बिरवा है। उ0प्र0 सरकार, वन विभाग के गजट दिनांक 18.10.1952 के विज्ञप्ति संख्या 617 दिनांक 11.10.1952 द्वारा ग्राम ददरी खुर्द में कम संख्या 244 पर 800 एकड़ तथा कमांक 248 पर 843 एकड़ भूमि के विज्ञापित हुआ है। जिसके सापेक्ष भारतीय वन अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत 800 एकड़ भूमि विज्ञप्ति संख्या 5564/ दिनांक 27.12.1955 द्वारा प्रकाशित हुयी। पुनः विज्ञप्ति संख्या 5564/ दिनांक 27.12.1955 का आंशिक परिष्कार करते हुये उ0प्र0 सरकार के गजट संख्या 23(2)36(ब)/14-ख-67 दिनांक 04.11.1967 द्वारा ग्राम ददरी खुर्द के 7 गाटा रकबा 423 बीघा 12 बिरवा रक्षित वन भूमि के संबंध में अधिसूचना प्रकाशित हुयी। गजट दिनांक 04.11.1967 के कम में गजट दिनांक 14.01.1978 द्वारा अधिसूचना संख्या 4646/14-2-20(41)-77 दिनांक 20.07.1977 से ग्राम ददरी खुर्द के कुल 06 गाटा रकबा 419 बीघा 09 बिरवा भूमि के संबंध में धारा-20 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये आरक्षित वन घोषित किया गया है। सर्वेक्षण प्रपत्र-15 में भी रक्षित वन का कुल क्षेत्रफल 104.85हे0 दर्ज है जो वर्तमान खतौनी में भी अंकित है।

प्रकरण के संबंध में इस कार्यालय के पत्र संख्या 846/एस0टी-शि0 दिनांक 26.06.2019 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर से तीन दिवस के अन्दर आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी। उनके द्वारा नियत तिथि तक आख्या उपलब्ध न कराये जाने के कारण इस कार्यालय के अनुस्मारक पत्र संख्या 352/जि0भू0व्य0लि0/भूमि/2018 दिनांक 27.06.2019 द्वारा दिनांक 28.06.2019 तक सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी । उन्होने अपने कार्यालय के पत्र संख्या 5041/मीरजापुर दिनांक 28.06.2019 द्वारा आख्या प्रेषित किया गया जिसमें उप जिलाधिकारी सदर मीरजापुर के पत्र दिनांक 26.06.2019 में उल्लिखित तथ्यों का उल्लेख करते हुये यह उल्लिखित किया गया

V.3 (A-T)
17-7-19
(संजय सिंह)
सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन
1832/VSP/19
18-7-19
(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
उ0 प्र0 शासन
802
19.7.19
18.7.19

कि प्रस्तावित परियोजना ग्राम ददरी खुर्द तहसील सदर मीरजापुर के सीमा से जुड़े दक्षिण में दांती आरक्षित वन (आरक्षित वन 7895.00 एकड़), उत्तर में सुखनई आरक्षित वन तथा पूरब में दाढ़ीराम आरक्षित वन (क्षेत्रफल 9309.52 एकड़) स्थित है। उक्त परियोजना तीन ओर से सघन आरक्षित वन से घिरी हुयी है। परियोजना की स्थापना के संबंध में Biodiversity Assesment and Preparition of Conservation Management Plant (including wildlife) के अनुमोदन के संबंध में प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक 389/26-11(वेलस्पन एनर्जी) लखनऊ दिनांक 15.10.2014 द्वारा सशर्त अनुमोदित किया गया है। मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के निर्णय दिनांक 21.12.2016 का उल्लेख करते हुये अवगत कराया गया कि परियोजना का आनलाईन प्रस्ताव भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रकिया के अनुरूप विचाराधीन है। मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आलोक में विभाग के स्तर से क्षेत्र की पर्यावरणीय महत्व के कम में स्थिति स्पष्ट करते हुये आख्या प्रेषित किया जाना है। परियोजना की स्थापना हेतु भूमिगत वाटर पाईप लाईन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावति संरेखड़ मार्ग में पड़ने वाली 8.3581 हे0 वन भूमि एवं वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में उनके द्वारा स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी है।

उप जिलाधिकारी सदर एंव प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या से स्पष्ट है कि ग्राम ददरी खुर्द में विज्ञप्ति संख्या 617 द्वारा कुल 1643 एकड़ भूमि का प्रकाशन किया गया है जबकि गॉव का कुल क्षेत्रफल 1202.50 एकड़ (1923 बीघा 19 बिस्वा) है। इस प्रकार 617 की विज्ञप्ति के अन्तर्गत ग्राम के क्षेत्रफल से 440.50 एकड़ अधिक भूमि का प्रकाशन हुआ है। वन अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत गजट दिनांक 27.12.1955 द्वारा 800 एकड़ भूमि की विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी है और गजट दिनांक 27.12.1955 का आंशिक परिष्कार करते हुये गजट दिनांक 04.11.1967 द्वारा वन अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत 264.75 एकड़ (423 बीघा 12 बिस्वा) की विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी जिसके सापेक्ष वन अधिनियम की धारा-20 के अन्तर्गत 262.16 एकड़ (419 बीघा 09 बिस्वा) भूमि वन भूमि घोषित हुयी है।

प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या 4599/मीरजापुर/15 दिनांक 25.05.2019 द्वारा अधोहस्ताक्षरी से इस आशय का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है कि परियोजना हेतु कय की गयी भूमि विज्ञप्ति संख्या 617 के अन्तर्गत विज्ञापित भूमि से आच्छादित तो नहीं है। इस संबंध में सादर अवगत कराना है कि श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव, अधिकृत प्रतिनिधि वेलस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 ने अपने पत्र दिनांक 19.06.2017 के साथ संलग्न किये गये प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर के पत्र संख्या 698/मीरजापुर/33 दिनांक 16.08.2013 के बिन्दु (क) में श्री एस0एन मिश्रा तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर द्वारा स्पष्ट रूप से यह उल्लिखित किया है कि वेलस्पन द्वारा उपयोग हेतु जो जमीन ली गयी है या राज्य सरकार से मांगी गयी है वह आरक्षित/संरक्षित या निजी वन नहीं है जबकि वर्तमान प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर श्री राकेश चौधरी द्वारा वेलस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0 लि0 द्वारा कय की गयी भूमि के संबंध में प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की जा रही है। तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी एवं वर्तमान प्रभागीय वनाधिकारी के कथन में अन्तर है जिसमें से किसी एक अधिकारी का कथन ही सत्य हो सकता है। इस प्रकार वेलस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा कय की गयी 337.762हे0 भूमि, वन भूमि है अथवा नहीं इसे सिद्ध करने का दायित्व वन विभाग का है।

उपर्युक्त आख्या के आधार पर प्रकरण में निम्न तथ्य विचारणीय है :-

1. वन विभाग की विज्ञप्ति संख्या 617 द्वारा 1643 एकड़ भूमि विज्ञापित हुयी है जबकि गॉव का कुल क्षेत्रफल 1202.50 एकड़ (1923 बीघा 19 बिस्वा) है ।
2. वन विभाग की विज्ञप्ति संख्या 617 में विज्ञापित 1643 एकड़ भूमि में से वन अधिनियम की धारा-20 के अन्तर्गत 262.16 एकड़ (419 बीघा 09 बिस्वा) भूमि विज्ञापित हुयी शेष 1380.84 एकड़ भूमि विज्ञापित नहीं हुयी है।

3. वेलस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा ग्राम ददरी खुर्द में 834.68 एकड़ (337.792हे0) भूमि क्रय की गयी है जो तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर द्वारा उपलब्ध कराये गये पत्र दिनांक 16.08.2013 के अन्तर्गत वन भूमि नहीं है।
4. ग्राम ददरी खुर्द तहसील सदर में विज्ञप्ति संख्या 617 द्वारा विज्ञापित भूमि व धारा-20 द्वारा विज्ञापित भूमि के मध्य 1380.84 एकड़ भूमि अवशेष बच रही है और इसी अवशेष भूमि को विज्ञप्ति संख्या 617 के अन्तर्गत प्रकाशित होने का आधार लेते हुये वन विभाग द्वारा उसे विज्ञप्ति 617 से आच्छादित वन भूमि होना बताया जा रहा है।

अतः उप जिलाधिकारी सदर मीरजापुर एंव प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या दिनांक क्रमशः 26.06.2019 एवं 28.06.2019 की छायाप्रति संलग्न कर उपर्युक्तानुसार आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वन विभाग की विज्ञप्ति संख्या 617 द्वारा विज्ञापित भूमि रकबा 1643 एकड़ व वन अधिनियम की धारा-20 द्वारा विज्ञापित भूमि 262.16 एकड़ (419 बीघा 09 बिस्वा) के मध्य जो 1380.84 एकड़ भूमि अवशेष भूमि बच रही है वह ग्राम सभा की भूमि है अथवा वन विभाग की, के संबंध में यथोचित निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्नक प्रस्तुत नहीं।

भवदीय,

(अनुराग पटेल)
जिलाधिकारी
मीरजापुर ।

पत्र पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि :-
1. प्रमुख सचिव राजस्व, उ0प्र0 शासन लखनऊ को सूचनार्थ इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रकरण के संबंध में यथोचित निर्देश निर्गत कराने का कष्ट करें ।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर को उनके कार्यालय के पत्र संख्या 4599/मीरजापुर दिनांक 25.05.2019 के कम मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

जिलाधिकारी
मीरजापुर ।

जिलाधिकारी,
मीरजापुर ।

सेवा में,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ ।

संख्या-357 /जि0भू0व्य0लि0/वेलस्पन एनर्जी-वन भूमि/2019 दिनांक: 01 जुलाई 2019

विषय:- वेलस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा जनपद मीरजापुर के ग्राम ददरी खुर्द में स्थापित किये जाने वाले 1320मेगावाट थर्मल पावर प्लाण्ट के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव, अधिकृत प्रतिनिधि वेलस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 के पत्र दिनांक 19.06.2019 पर पृष्ठांकित अपने आदेश दिनांक 19.06.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्रकरण के संबंध में यथोचित कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

प्रकरण के संबंध में सादर अवगत कराना है महोदय के आदेश दिनांक 19.06.2019 के क्रम में उप जिलाधिकारी सदर मीरजापुर एवं प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर से आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी । उप जिलाधिकारी सदर मीरजापुर ने अपने कार्यालय के पत्रांक 6975/एस0टी0-19 दिनांक 26.06.2019 द्वारा आख्या प्रेषित करते हुये अवगत कराया गया कि ग्राम ददरी खुर्द तहसील सदर मीरजापुर के वर्तमान खतौनी 1425-1431 फसली के ग्राम का कुल रकबा 495.762है0 है जिसमें से 104.85 है0 भूमि रक्षित वन तथा 2.180है0 वन विभाग उत्तर मीरजापुर के नाम दर्ज है। इसके अतिरिक्त 337.792है0 भूमि वेलस्पन एनर्जी यू0पी0प्रा0लि0 के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर श्रेणी-1(क) के रूप में दर्ज है। खसरा 1359 फसली के अनुसार ग्राम ददरी खुर्द का कुल रकबा 1923 बीघा 19 बिस्वा है। उ0प्र0 सरकार, वन विभाग के गजट दिनांक 18.10.1952 के विज्ञप्ति संख्या 617 दिनांक 11.10.1952 द्वारा ग्राम ददरी खुर्द में क्रम संख्या 244 पर 800 एकड़ तथा क्रमांक 248 पर 843 एकड़ भूमि के विज्ञापित हुआ है। जिसके सापेक्ष भारतीय वन अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत 800 एकड़ भूमि विज्ञप्ति संख्या 5564/ दिनांक 27.12.1955" द्वारा प्रकाशित हुयी। पुनः विज्ञप्ति संख्या 5564/ दिनांक 27.12.1955 का आंशिक परिष्कार करते हुये उ0प्र0 सरकार के गजट संख्या 23(2)36(वि)/14-ख-67 दिनांक 04.11.1967 द्वारा ग्राम ददरी खुर्द के 7 गाटा रकबा 423 बीघा 12 बिस्वा रक्षित वन भूमि के संबंध में अधिसूचना प्रकाशित हुयी। गजट दिनांक 04.11.1967 के क्रम में गजट दिनांक 14.01.1978 द्वारा अधिसूचना संख्या 4646/14-2-20(41)-77 दिनांक 20.07.1977 से ग्राम ददरी खुर्द के कुल 06 गाटा रकबा 419 बीघा 09 बिस्वा भूमि के संबंध में धारा-20 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये आरक्षित वन घोषित किया गया है। सर्वेक्षण प्रपत्र-15 में भी रक्षित वन का कुल क्षेत्रफल 104.85है0 दर्ज है जो वर्तमान खतौनी में भी अंकित है।

प्रकरण के संबंध में इस कार्यालय के पत्र संख्या 846/एस0टी-शि0 दिनांक 26.06.2019 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर से तीन दिवस के अन्दर आख्या उपलब्ध कराये जाने की

कर दी गयी। उनके द्वारा नियत तिथि तक आख्या उपलब्ध न कराये जाने के कारण इस कार्यालय के अनुस्मारक पत्र संख्या 352/जि0भू0स्था0लि0/भूमि/2018 दिनांक 27.06.2019 द्वारा दिनांक 28.06.2019 तक सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी। उन्होंने अपने कार्यालय के पत्र संख्या 504/मीरजापुर दिनांक 28.06.2019 द्वारा आख्या प्रेषित किया गया जिसमें उप जिलाधिकारी सदर मीरजापुर के पत्र दिनांक 26.06.2019 में उल्लिखित तथ्यों का उल्लेख करते हुये यह उल्लिखित किया गया कि प्रस्तावित परियोजना ग्राम ददरी खुर्द तहसील सदर मीरजापुर के सीमा से जुड़े दक्षिण में दांती आरक्षित वन (आरक्षित वन 7895.00 एकड़), उत्तर में सुखमई आरक्षित वन तथा पूरब में दाढ़ीराम आरक्षित वन (क्षेत्रफल 9309.52 एकड़) स्थित है। उक्त परियोजना तीन ओर से सघन आरक्षित वन से घिरी हुयी है। परियोजना की स्थापना के संबंध में Biodiversity Assesment and Preparition of Conservation Management Plant (including wildlife) के अनुमोदन के संबंध में प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक 389/26-11 (वेलस्पन एनर्जी) लखनऊ दिनांक 15.10.2014 द्वारा सशर्त अनुमोदित किया गया है। मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के निर्णय दिनांक 21.7.2016 का उल्लेख करते हुये अवगत कराया गया कि परियोजना का आनलाईन प्रस्ताव भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप विचाराधीन है। मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आलोक में विभाग के स्तर से क्षेत्र की पर्यावरणीय महत्व के क्रम में स्थिति स्पष्ट करते हुये आख्या प्रेषित किया जाना है। परियोजना की स्थापना हेतु भूमिगत वाटर पाईप लाईन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित संरेखण मार्ग में पड़ने वाली 8.3581 हे0 वन भूमि एवं वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में उनके द्वारा स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी है।

उप जिलाधिकारी सदर एवं प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या से स्पष्ट है कि ग्राम ददरी खुर्द में विज्ञप्ति संख्या 617 द्वारा कुल 1643 एकड़ भूमि का प्रकाशन किया गया है जबकि गाँव का कुल क्षेत्रफल 1202.50 एकड़ (1923 बीघा 19 बिस्वा) है। इस प्रकार 617 की विज्ञप्ति के अन्तर्गत ग्राम के क्षेत्रफल से 440.50 एकड़ अधिक भूमि का प्रकाशन हुआ है। वन अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत गजट दिनांक 27.12.1955 द्वारा 800 एकड़ भूमि की विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी है और गजट दिनांक 27.12.1955 का आंशिक परिष्कार करते हुये गजट दिनांक 04.11.1967 द्वारा वन अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत 264.75 एकड़ (423 बीघा 12 बिस्वा) की विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी जिसके सापेक्ष वन अधिनियम की धारा-20 के अन्तर्गत 262.16 एकड़ (419 बीघा 09 बिस्वा) भूमि वन भूमि घोषित हुयी है।

प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या 4599/मीरजापुर/15 दिनांक 25.06.2019 द्वारा अधोहस्ताक्षरी से इस आशय का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है कि परियोजना हेतु क्रय की गयी भूमि विज्ञप्ति संख्या 617 के अन्तर्गत विज्ञापित भूमि से आच्छादित तो नहीं है। इस संबंध में सादर अवगत कराना है कि श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव, अधिकृत प्रतिनिधि वेलस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 ने अपने पत्र दिनांक 19.06.2017 के साथ संलग्न किये गये प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर के पत्र संख्या 698/मीरजापुर/33 दिनांक 16.08.2013 के बिन्दु (क) में श्री एस0एन0 मिश्रा

[illegible] प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर द्वारा स्पष्ट रूप से यह उल्लेखित किया है कि [illegible] द्वारा [illegible] हेतु जो अपील की गयी है या अन्य सरकार से मांगी गयी है वह आवेदक स्तर पर या किसी [illegible] तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर श्री राकेश चौधरी द्वारा वेलस्पन एनर्जी [illegible] लि0 [illegible] भूमि के संबंध में प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाना की अपेक्षा की जा रही है। तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी एवं वर्तमान प्रभागीय वनाधिकारी के कथन में अन्तर है जिसमें से किसी एक अधिकारी का कथन ही [illegible] सकता है। इस प्रकार वेलस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा क्रय की गयी 337.76280 भूमि, वन भूमि [illegible] नहीं हुआ सिद्ध करने का दायित्व वन विभाग का है।

उपर्युक्त आख्या के आधार पर प्रकरण में निम्न तथ्य विचारणीय है :-

1. वन विभाग की विज्ञप्ति संख्या 617 द्वारा 1643 एकड़ भूमि विज्ञापित हुयी है जबकि गांव का कुल रकबा [illegible] 1150 एकड़ (1923 बीघा 19 बिस्वा) है।
2. वन विभाग की विज्ञप्ति संख्या 617 में विज्ञापित 1643 एकड़ भूमि में से वन अधिनियम की धारा-20 के अन्तर्गत 262.16 एकड़ (419 बीघा 09 बिस्वा) भूमि विज्ञापित हुयी शेष 1380.84 एकड़ भूमि विज्ञापित नहीं हुयी है।
3. वेलस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा ग्राम ददरी खुर्द में 834.68 एकड़ (337.76280 हे0) भूमि क्रय की गयी है जो तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर द्वारा उपलब्ध कराये गये पत्र दिनांक [illegible].2015 के अनुसार वन भूमि नहीं है।
4. ग्राम ददरी खुर्द तहसील सदर में विज्ञप्ति संख्या 617 द्वारा विज्ञापित भूमि व धारा-20 द्वारा विज्ञापित भूमि के [illegible] 1380.84 एकड़ भूमि अवशेष बच रही है और इसी अवशेष भूमि को विज्ञप्ति संख्या 617 के अन्तर्गत प्रकाशित होने का आधार लेते हुये वन विभाग द्वारा उक्त विज्ञप्ति 617 से आच्छादित वन भूमि होना बताया जा रहा है।

अतः उप जिलाधिकारी सदर मीरजापुर एवं प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर द्वारा उपलब्ध कराई गयी आख्या दिनांक क्रमशः 26.06.2019 एवं 28.06.2019 की छायाप्रति संलग्न कर [illegible] आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वन विभाग की विज्ञप्ति संख्या 617 द्वारा विज्ञापित भूमि [illegible] 1643 एकड़ व वन अधिनियम की धारा-20 द्वारा विज्ञापित भूमि 262.16 एकड़ (419 बीघा [illegible] बिस्वा) के अलावा जो 1380.84 एकड़ भूमि अवशेष भूमि बच रही है वह ग्राम सभा की भूमि है अथवा वन विभाग की, के संबंध में समुचित मार्ग-दर्शन निर्गत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनुराग पटेल)
जिलाधिकारी
मीरजापुर।

WELSPUN

WELSPUN ENERGY UP PVT. LTD.

Letter No: WEUPPL/FP/UP/THE/14236/2015 dated 13/06/2019

[illegible]
[illegible]
[illegible] Pradesh

Subject: Proposal No. FP/UP/THE/14236/2015 for diversion of 8.3581 ha of forest land for water pipeline corridor and approach road of Mirzapur 1320 MW Thermal Power Project.

Dear Sir,

[illegible] Energy U.P. Pvt. Ltd. (WEUPPL) has proposed to set up 1320 MW Thermal Power Project (TPP) [illegible] Vindhya [illegible] in District Mirzapur, U.P. The proposed investment in this project is Rs 10,000 Crores and [illegible] employment generation of 5000 during project stage and 2000 during operation stage.

This project also received Environmental Clearance (EC) from MoEFCC in 2014. Entire land for this project has been acquired. Hence, we are writing this letter to brief you on following and request your kind review [illegible].

EC for this project was set aside by NGT in 2016. M/s WEUPPL approached the NGT with review application. After review, NGT issued Clarification vide Judgement dated 01.05.2017 that "The project proponent is at liberty to approach to MoEF&CC or any other competent authority for processing of [illegible] for grant of Environmental Clearance upon making up for/ rectifying the defects"

Accordingly, WEUPPL approached to the MoEFCC re-issue of EC. In March 2019, EAC in MoEFCC vide its [illegible] 2019 and [illegible].2019 also recommended for amendment and re-issue the EC for this project.

[illegible] re-issue of EC from the MoEFCC, this project requires the Stage-I forest clearance for [illegible] 8.3581 ha of forest land for water pipeline corridor and approach road for this 1320 MW TPP [illegible] by WEUPPL in 2015 vide forest proposal No. FP/UP/THE/14236/2015.

After [illegible] technical requirements, this Forest Proposal was also forwarded by State Government to MoEFCC in [illegible] 2016. Proposal was also considered in Regional Office of MoEFCC, Lucknow in Jan 2017 [illegible] returned to the State Government for technical query and reconsideration.

Since then, this FDP is awaiting the forwarding action by Forest Department to the State Government and [illegible] to MoEFCC. There has been various technical queries by the Forest Department to WEUPPL despite [illegible] proposal was sent by State Government to the MoEFCC in 2016 it was sent after fulfilling [illegible] technical requirements in the proposal.

Recently, DFO Mirzapur has also raised a query to DM regarding this forest diversion proposal. DM Mirzapur also called meeting with DFO Mirzapur, SDO Forest, SDM Sadar and Tehsildar Sadar however meeting ended without any decisions. Brief note on the key events in this FDP is also attached herewith.

We request you to take holistic approach and needful communication with forest department as it is necessary for this 1320 MW TPP project and proposed investment of Rs 10,000 Cr in the state.

Thanking you,
Authorized Signatory for Welspun Energy UP Pvt. Ltd

(Sudhir Kumar Srivastava)

Attached: Brief Note on Forest Proposal No. FP/UP/THE/14236/2015 - Events form July 2015 to May 2019

[illegible] Office: [illegible] Mirzapur, Uttar Pradesh [illegible]
Authorised Signatory Office: [illegible] Corporate House, 2nd Floor South Wing, Shantigram, Vaishnodevi Circle [illegible]
Fax: [illegible]